अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 682(अ).—केन्द्रीय सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उपधारा (1) के साथ पठित उसकी उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) " अधिनियम" से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) "वार्षिक रिपोर्ट" से धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट अभिप्रेत है ;

(ग) "वित्तीय वर्ष" से प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ;

(घ) " धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है ।

3. वार्षिक रिपोर्ट-- (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से नौ मास के भीतर अग्रेषित करेगा जो संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय प्राधिकरण के पूर्ववर्ष के दौरान के क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा होगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा तथा वह सरकार उन प्रतियों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,-

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण के लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा उसकी झांकी का ब्यौरा ;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण की भूमिका और उसके कृत्य ;

(ग) उस वर्ष के दौरान जिसके संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तात्पर्यित है, भौतिक और वित्तीय रूप में वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियां ;

(घ) पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण के क्रियाकलाप ; और

(ङ) ऐसी कोई अन्य सूचना जो राष्ट्रीय प्राधिकरण ठीक समझे ।

[फा. सं. 30/8/2006-एनडीएम-III (ए)]

प्रभांशु कमल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2006

G.S.R. 682(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) read with sub-section (1) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Disaster Management (Annual Report of National Authority) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "annual report" means the annual report of the National Authority under sub-section (1) of section 70;

(c) "financial year" means the financial year commencing from 1st April each year and ending on 31st March of the following year;

(d) "section" means a section of the Act.

3. **Annual report.**- (1) The National Authority shall prepare its annual report and forward it to the Central Government within nine months of the end of the financial year for being laid before each House of Parliament.

(2) The annual report shall contain a full account of the activities of the National Authority during the previous year and the National Authority shall forward copies of the annual report to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

(3) The annual report shall include -

(a) a statement of aims and objectives and vision of the National Authority;

(b) the role and functions of the National Authority;

IndiaCode

(c) annual targets and achievements, in physical and financial terms, during the year to which the annual report pertains;

(d) the activities of the National Authority during the previous financial year; and

(e) any other information as the National Authority deems fit.

[F. No. 30/8/2006-NDM-III(A)]

PRABHANSHU KAMAL, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.